

In the court of S.D.J.M Pupri (Sitamarhi)

Present Vivek Kumar

Case No.- 45/20 23

In the Matter of :-

.....Mr. Zafir @ Zafir Khan Applicant

.....Mr. Modasir.....Opposite Party

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
<u>12.3.24</u>	<p>अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी/परिवादिनी अनुपस्थित हैं। परिवादी/परिवादिनी के तरफ से कोई हाजरी/पैरवी नहीं दी गई है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि परिवादी वाद में दिनांक 11.03.2024 से लगातार अनुपस्थित है। उक्त तथ्य से प्रतीत होता है कि परिवादी का वाद में रुचि समाप्त हो गया है और वे वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। परिवादी को वाद में अंतिम अवसर दिया जा चुका है। अतएवं उक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को द0प्र0सं0 की धारा-203 के अंतर्गत खारिज किया जाता है।</p> <p>कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।</p> <p style="text-align: center;">लेखपित ✓</p> <p style="text-align: center;">अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी पुपरी, सीतामढ़ी</p>	